आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
6/1/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील वाद सं0 4/2012** **लीला देवी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 1200/आपूर्त्ति दिनांक 17/12/2011 के विरुद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत आदेश के द्वारा अपीलकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 21/11/2011 को अपीलकर्त्ता की दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के आलोक में पायी गई अनियमितताओं के संबंध में अपीलकर्त्ता से बिन्दुवार कारणपृच्छा की गयी और उसके बाद प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि प्रश्नगत आदेश विधि के प्रतिकूल और पायी गई अनियमितताओं के आलोक में अप्रत्यानुपातिक है। उसने यह भी कहा कि उसके विरुद्ध अनियमित वितरण की शिकायत नहीं है और निरीक्षण तिथि को दुकान बंद करने का कारण यह था कि वह आवश्यक वस्तुओं का उठाव करने के लिए गयी थी। प्रश्नगत आदेश का समर्थन करते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि दुकान बंद कर दूसरे प्रयोजन के लिए बाहर जाना स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं ने लिखित बयान देकर अनियमित वितरण, कूपन रख लेने आदि की गंभीर शिकायतें की है, जो अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जाँच में सही पायी गई हैं। दोनों पक्षों को सुना तथा निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया। यह सही है कि निरीक्षण के बाद पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में अपीलकर्त्ता से बिन्दुवार कारणपृच्छा की गयी और अपने समर्थन में अपीलकर्त्ता ने भंडार पंजी तथा वितरण पंजी की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की। किन्तु इनके अवलोकन से स्पष्ट है कि भंडार पंजी में कहीं पर भी कूपन संख्या अंकित नहीं की गयी है। उसी तरह अपीलकर्त्ता के पक्ष में दिए गए उपभोक्ताओं के शपथ-पत्र में भी कूपन संख्या अंकित नहीं है। इस	

तथ्य का स्पष्ट उद्धरण अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश में किया है। इस प्रकार मेरा स्पष्ट मन्तव्य है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रश्नगत आदेश पूरी जाँच-पड़ताल के बाद तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया है।

अतः उक्त आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक कारण नहीं है। अपील अस्वीकृत।

लेखापित एवं संशोधित

6.1.17

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

6.1.17

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।